

नोटबंदी पर सर्वोच्च न्यायालय का नरिण्य

प्रलिमिस के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय, संवधान पीठ, RBI, RBI अधनियम की धारा 26(2)।

मेन्स के लिये:

नोटबंदी पर सर्वोच्च न्यायालय का नरिण्य।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने पाँच न्यायाधीशों की संवधान पीठ द्वारा 4-1 के बहुमत से 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोटों की नोटबंदी पर फैसला सुनाया।

'NOT RELEVANT WHETHER OBJECTIVES ACHIEVED OR NOT'

MAJORITY VERDICT OF JUSTICES SA NAZEER, BR GAVAI, AS BOPANNA & V RAMASUBRAMANIAN	MINORITY VERDICT OF JUSTICE BV NAGARATHNA
<ul style="list-style-type: none"> Majority verdict says demonetisation had a "reasonable nexus with its objectives" such as eradicating black money and terror funding and it is not relevant whether those objectives were achieved or not Says government was in consultation with RBI for six months and it is empowered to take such a decision No fresh window to exchange notes, 52 days' time given earlier not unreasonable <p>“ There has to be great restraint in matters of economic policy. Court cannot supplant the wisdom of executive with its wisdom...</p>	<ul style="list-style-type: none"> Demonetisation move 'exercise of power' by Union government, contrary to law and vitiated under the RBI Act Carried out in 24 hours, so central bank had no time to consider it Parliament, which is "at the centre of our democracy, cannot be left aloof in a matter of such importance" Around 98% of value of banned currency reported to have been exchanged, so measure may not have been as effective as it was hoped to be <p>“ This (use of phrases such as 'as desired' by the Centre in communication to RBI governor) demonstrates that there was no independent application of mind by the Bank</p>

आधिकारिक नरिण्य:

■ बहुमत:

- बहुमत के अनुसार, केंद्र की 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना वैध है और आनुपातिकता की कसौटी पर खरी उत्तरती है।
- भारतीय रजिस्टर बैंक अधनियम, 1934 की धारा 26 (2) के तहत जारी 8 नवंबर की अधिसूचना से छह महीने पहले RBI और केंद्र ने एक-दूसरे के साथ इस संबंध में परामर्श किया था।
- RBI अधनियम की धारा 26 (2) के तहत वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन केवल इसलिये नहीं किया गया क्योंकि केंद्रीय बोर्ड को विनियोग करने पर विचार करने हेतु 'सलाह' देने की पहल की थी।

- इस प्रावधान के तहत सरकार को बैंक नोटों की "सभी शुंखलाओं" को वमिद्रीकृत करने का अधिकार दिया गया था।
- जलदबाजी में लिये गए फैसले पर न्यायालय ने कहा कि इस तरह के कदम नरिविवाद रूप से अत्यंत गोपनीयता और तेज़ी से लिये जाते हैं। यदि इस तरह के कदम की खबर लीक हो जाती है, तो यह कल्पना करना मुश्किल है कि इसके परणाम किसे वनिशकारी हो सकते हैं।
- जाली मुद्रा, काले धन और आतंक के वित्तपोषण को खत्म करने के "उचित उद्देश्यों" के लिये वमिद्रीकरण किया गया था।
- **अल्पमत नरिण्य:**
 - सरकार आरबीआई अधनियम की धारा 26 (2) के तहत एक अधिसूचना तभी जारी कर सकती थी जब आरबीआई ने सफिरशि के माध्यम से नोटबंदी का प्रस्ताव दिया होता।
 - इसलिये आरबीआई अधनियम की धारा 26(2) के तहत जारी सरकार की अधिसूचना गैरकानूनी थी।
 - जनि मामलों में सरकार नोटबंदी की पहल करती है, उनमें आरबीआई की राय लेनी चाहिये। बोर्ड की राय "स्वतंत्र और स्पष्ट" होनी चाहिये।
 - यदि बोर्ड की राय नकारात्मक थी, तो केंद्र केवल एक अध्यादेश की घोषणा करके या एक संसदीय कानून बनाकर भी वमिद्रीकरण की राह पर आगे बढ़ सकता था।
 - संसद को "लघु राष्ट्र" के रूप में वरणति किया जाता तथा "संसद की अनुपस्थितिमें, लोकतंत्र की स्थापना और सफलता अनश्चित है"।

आनुपातिकिता का परीक्षण:

- आमतौर पर संवेधानिक अदालतें, उन मामलों को तय करने के लिये हैं जहां दो या दो से अधिक वैध अधिकार टकराते हैं, आनुपातिकिता का परीक्षण दुनिया भर की अदालतों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सामान्य रूप से नियोजिति कानूनी पद्धति है।
- जब इस तरह के मामलों का फैसला किया जाता है, तो आमतौर पर एक प्रकार के न्याय पर दूसरे न्याय को प्रभावी घोषति किया जाता है और न्यायालय इस प्रकार वभिन्न प्रकार के न्यायों के मध्य संतुलन स्थापति करता है।
- आनुपातिकिता का सदिधांत यह आदेश देता है कि विभिन्न परणाम प्राप्त करने के लिये प्रशासनिक उपाय आवश्यकता से अधिक कठोर नहीं होने चाहिये।

नोटबंदी/वमिद्रीकरण:

- **परचिय:**
 - 8 नवंबर, 2016 को सरकार ने घोषणा की कि उच्च मूल्य वरण के 500 रुपए एवं 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर (वैद्य मुद्रा) नहीं रहेंगे अर्थात् सीमित अवधि में सीमित सेवाओं के साथ इनकी वैधता समाप्त हो जाएगी।
 - यह वैध मुद्रा या फिट मनी के रूप में अपनी स्थितिकी एक मुद्रा इकाई को चलन से बाहर करने का कार्य है।
 - यह कार्य तब किया जाता है जब राष्ट्रीय मुद्रा में प्रवरत्न होता है और मुद्रा के वर्तमान रूप या रूपों को चलन से बाहर कर दिया जाता है, जिसे अक्सर नए नोटों या सकिकों से प्रतिस्थापित किया जाता है।
- **वमिद्रीकरण का उद्देश्य:**
 - अवैध लेन-देन के लिये उच्च मूल्यवरण के नोटों के उपयोग को हतोत्साहित करना और इस प्रकार काले धन के व्यापक उपयोग पर अंकुश लगाना।
 - **वाणिज्यिक लेन-देन के लिये डिजिटलीकरण** को प्रोत्साहित करना, अरथव्यवस्था को औपचारिक बनाना और सरकारी कर राजस्व को बढ़ावा देना।
 - अरथव्यवस्था के औपचारिकरण का अर्थ है, कंपनियों को सरकार की नायिमक व्यवस्था के अंतर्गत लाना तथा वनिरिमाण एवं आयकर से संबंधित कानूनों के अधीन करना।
- **ऑपरेशन क्लीन मनी:**
 - इसे आयकर वभिग (CBDT) द्वारा 9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान किये गए बड़े नकद जमा के ई-सत्यापन के लिये लॉन्च किया गया था।
 - यह कार्यक्रम 31 जनवरी, 2017 को शुरू किया गया था और मई 2017 में इसने दूसरे चरण में प्रवेश किया।
 - इसका उद्देश्य नोटबंदी की अवधि के दौरान करदाताओं के नकद लेन-देन की स्थिति (प्रतिबिधिति नोटों की वनिमिय/बचत) को सत्यापति करना और यद्यलेन-देन कर की स्थिति से मेल नहीं खाते हैं तो कर प्रवरत्न कार्रवाई करना है।
- **नोटबंदी का प्रभाव:**
 - 4 नवंबर, 2016 को जनता के पास प्रचलन मुद्रा 17.97 लाख करोड़ रुपए थी और नोटबंदी के बाद जनवरी 2017 में घटकर 7.8 लाख करोड़ रुपए रह गई।
 - इसके कारण मांग गरि गई, उद्यमों को संकट का सामना करना पड़ा और **सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product-GDP)** की वृद्धिधीमी हो गई, जिसके परणामस्वरूप कई छोटे व्यवसाय और दुकान बंद हो गए, साथ ही **नकदी/तरलता की समस्या** भी उत्पन्न हो गई।
 - तरलता की कमी या संकट तब उत्पन्न होता है जब वित्तीय संस्थान और औद्योगिक कंपनियों के लिये अपनी सबसे ज़रूरी आवश्यकताओं या अपनी सबसे मूल्यवान परयोजनाओं को पूरा करने के लिये आवश्यक नकदी की कमी हो जाती है।

आगे की राह

- नोटबंदी काले धन और समानांतर अरथव्यवस्था (अवैध अरथव्यवस्था, जैसे मनी लॉन्ड्रगि, तस्करी आदि) के खतरे का साहसपूर्वक मुकाबला करने के लिये त्वरित कदम था, जिसका प्रभाव वैश्वकि अरथव्यवस्था के संदर्भ में सरकार की नीतियों के माध्यम से प्रदर्शित होता है।

- सरकार के इस कदम ने वशिव स्तर पर भारत को अधिक महत्त्व प्रदान किया क्योंकि इसमें एक ऐसे मुद्दे से नपिटने में साहस दरिखाया गया जसे इस पीढ़ी के विकास की सफलता की राह में सबसे बड़ी समस्या माना जा सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/supreme-court-s-verdict-on-demonetisation>

